



जीएसटी कार्यन्वयन से पहले दो माह में कर विवरण दाखिल करने की प्रक्रिया में छूट

Posted On: 18 JUN 2017 10:58AM by PIB Delhi

जीएसटी के सुगम कार्यन्वयन के उद्देश्य और उद्योग और व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा जीएसटी के दौरान कर विवरण दाखिल करने संबंधी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई नियमों में छूट प्रदान की है। जीएसटी लागू होने के प्रथम दो माह में कर आने और जाने वाले सामान का विवरण एक आसान विवरण (परपत्र जीएसटीआर-3बी) में देना होगा। इसे अगले माह की 20 तारीख तक जमा किया जा सकेगा। हालांकि नियमित जीएसटीआर-1 को जुलाई और अगस्त माह के लिए निम्नलिखित समयसीमा अनुसार दाखिल करना होगा।

माह	जीएसटीआर-3बी	जीएसटीआर - 1	जीएसटीआर - 2 (जीएसटीआर -1से स्वतः लिया गया)
जुलाई, 2017	20 अगस्त	1 - 5 सितंबर	6 - 10 सितंबर
अगस्त, 2017	20 सितंबर	16 - 20 सितंबर	21 - 25 सितंबर

*जुलाई 2017 से बाहर जाने वाली आपूर्ति का विवरण जमा करने के लिए सुविधा 15 जुलाई 2017 से उपलब्ध होगी।

इस अंतरिम अवधि के दौरान कोई विलंब शुल्क या दंड नहीं लगाया जायेगा। इसका उद्देश्य करदाताओं को सुविधा प्रदान करना और प्रणाली में परिवर्तन के अनुरूप ढालने का समय प्रदान करना है। यह केंद्र सरकार की सभी भागीदारों को एक मंच पर साथ लाने के साथ-साथ ऐतिहासिक बदलाव के लिए करदाताओं को तैयार करने की प्रतिबद्धता भी प्रदर्शित करता है।

वीके/एजे/पीबी-1771

(Release ID: 1493139) Visitor Counter : 7

